



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19072021-228355
CG-DL-W-19072021-228355

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जुलाई 4—जुलाई 10, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 13—आषाढ़ 19, 1943
No. 14] NEW DELHI, JULY 4— JULY 10, 2021, SATURDAY / ASHADHA 13 – ASHADHA 19, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 136.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 30—बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प/वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 189/निर्वा.पर्य/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीयराजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय चेतना शक्ति पार्टी के अभ्यर्थी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव म.न.-116, कोटवारपारा सकोला, कोटमी कला, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/30/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 136.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **30-Bilaspur** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, a contesting candidate of **Bhartiya Shakti Chetna Party** from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **9th October, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **9th October, 2019**, **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ashish Kumar Srivastav**, resident of **H.No. 116, Kotwarpara, Sakola Kotmikala, Tah. Pendra, District- Bilaspur, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Bhartiya shakti Chetna Party**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.CG-LA/ES-I/30/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 137.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री ओम प्रकाश सिंह जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री ओम प्रकाश सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री ओम प्रकाश सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 189/निर्वा.पर्य/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री ओम प्रकाश सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री ओम प्रकाश सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री ओम प्रकाश सिंह नयापारा बिलासपुर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/30/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 137.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **30-Bilaspur** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter

No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Omprakash Singh**, an **Independent** candidate from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **9th October, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Omprakash Singh**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **9th October, 2019**, **Sh. Omprakash Singh**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Omprakash Singh**, on **19th October, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Sh. Omprakash Singh**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Omprakash Singh**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Omprakash Singh** resident of **nayapara Bilaspur, Dist-bilaspur, Chhattisgarh** and an independent Candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/30/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 138.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री नीरा देवी सोनवानी जो छत्तीसगढ़ के 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए सुश्री नीरा देवी सोनवानी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए सुश्री नीरा देवी सोनवानी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस सुश्री नीरा देवी सोनवानी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं० नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 189/निर्वा.पर्य/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुश्री नीरा देवी सोनवानी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सुश्री नीरा देवी सोनवानी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 30-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी सुश्री नीरा देवी सोनवानी 10/93 कुम्हारपारा, पार्षद गली, मदरटेरेसा वार्ड, प्रोग्रेसिव विद्यालय के पास, वार्ड-10, जरहामाठा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495001 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/30/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 138.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **30-Bilaspur** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Ms. Neera Devi Sonwani**, an **Independent** candidate from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **9th October, 2019** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Ms. Neera Devi Sonwani**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **9th October, 2019**, **Ms. Neera Devi Sonwani**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Ms. Neera Devi Sonwani**, on **19th October, 2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 dated 7th July, 2020 has stated that **Ms. Neera Devi Sonwani**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Ms. Neera Devi Sonwani**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Neera Devi Sonwani** resident of **10/93 KumharPara, Parsad gali, Mother Tera Ward, Near Progressive School Ward 10, Jarhabhatha, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001** and an **Independent** Candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **30-Bilaspur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/30/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 139.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, जो छत्तीसगढ़ के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट) अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, द्वारा 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के पत्र सं० No.250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 253/निर्वा०सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट) अभ्यर्थी श्री सुरेन्द्र लाल सिंह नेटी,, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-कल्याणपुर तहसील व जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, 497229, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/05/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 139.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **05-Bhatgaon Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Surendra Lal Singh Neti, Communist Party of India (Marxist)** contesting candidate from **05-Bhatgaon Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Surendra Lal Singh Neti**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019, **Sh.Surendra Lal Singh Neti**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Surendra Lal Singh Neti**, on 28th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.250/निर्वा.सुप/छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 dated 22nd August, 2020..

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.253/Ele.Sup/CHLA-18/EEM/2020 dated 24th August, 2020 has stated that **Sh.Surendra Lal Singh Neti**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Surendra Lal Singh Neti**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Surendra Lal Singh Neti**, resident of **Village-Kalyanpur, Post-Kalyanpur, Tah-Surajpur, District-Surajpur, Chhattisgarh 497229** and the contesting **Communist Party of India (Marxist)** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **05-Bhatgaon Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/05/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 140.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, जो छत्तीसगढ़ के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, द्वारा 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के पत्र सं० No.250/निर्वा.सुप./छ.ग.-वि.स.चु.-18/EEM/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 24 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 253/निर्वा०सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 05-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री तिलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, ग्राम-मजीरा, पोस्ट-लटोरी, थाना जयनगर, तहसील सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/05/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 140.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **05-Bhatgaon Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Tilashwar Prasad Rajwade, Independent** contesting

candidate from **05-Bhatgaon Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Surajpur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019, **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade**, on 28th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.250 / निर्वा.सुप / छ.ग.-वि.स.चु.-18 / EEM/2020 dated 22nd August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No.253/Ele.Sup/CHLA-18/EEM/2020 dated 24th August, 2020 has stated that **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Tileshwar Prasad Rajwade** resident of **Village-Majira, Post-Latori, Thana-Jainagar, Tah-Surajpur, District-Surajpur, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **05-Bhatgaon Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/05/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 141.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रूपधर पुडो, जो छत्तीसगढ़ के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अबेडकराई पार्टी ऑफ इंडिया के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रूपधर पुडो को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रूपधर पुडो को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रूपधर पुडो द्वारा 19 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं० सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं० सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रूपधर पुडो ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रूपधर पुडो निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया अभ्यर्थी श्री रूपधर पुडो, ग्राम-दरगढ़, पो.आ.-साधुमिचगॉव, तहसील-दुर्गूकौदल, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1 / 79/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 141.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker District**, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Rupdhhar Pudo, Ambedkarite Party of India** contesting candidate from **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker District**, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 4th March, 2020 was issued

by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Rupdhhar Pudo**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th March, 2020, **Sh.Rupdhhar Pudo**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Rupdhhar Pudo**, on 19th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** vide his letter No.SA.Ele./Ele.Exp.2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** vide his letter No.SA.Ele./Ele.Exp.2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020 has stated that **Sh.Rupdhhar Pudo**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Rupdhhar Pudo**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Rupdhhar Pudo**, resident of Village-Dargarh, **Post-Sadhumichgaon Block Durgukondal, Tahsil-Durgukondal, District Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh** and the contesting **Ambedkarite Party of India** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/79/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 142.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नेहरू राम कोमरा, जो छत्तीसगढ़ के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नेहरू राम कोमरा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नेहरू राम कोमरा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री नेहरू राम कोमरा द्वारा 19 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं० सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकर द्वारा अपने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र सं० सा.निर्वा./निर्वा.व्यय लेखा/2020/272 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नेहरू राम कोमरा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नेहरू राम कोमरा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री नेहरू राम कोमरा, ग्राम-तुराखर, पो.आ.-सिदेसर, ब्लाक-तहसील-उत्तर बस्तर कांकर, तुराखर, छत्तीसगढ़, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/79/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुढोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 142.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Nehru Ram Komra, Independent** contesting candidate from **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 4th March, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh.Nehru Ram Komra**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th March, 2020, **Sh.Nehru Ram Komra**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of

election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh.Nehru Ram Komra**, on 19th March, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** vide his letter No.SA.Ele./Ele.Exp.2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Uttar Bastar Kanker** vide his letter No.SA.Ele./Ele.Exp.2020/Exp./2020/272 dated 8th July, 2020 has stated that **Sh.Nehru Ram Komra**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Nehru Ram Komra**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh.Nehru Ram Komra**, resident of **Village-Turakhar, Post-Sidesar Block-District Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh** and the contesting **Independent** candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **79-Antagarh (ST) Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/79/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 143.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिल बघेल, जो छत्तीसगढ़ के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए 28-तखतपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिल बघेल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री श्यामलाल मरकाम द्वारा 25 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के पत्र सं० 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं० 838/निर्वा०स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिल बघेल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल बघेल निर्वाचन खर्च का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी श्री अनिल बघेल बी-90 रामालाईफ मुंगेली रोड सकरी वार्ड नंबर-16, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु-1/28/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 143.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **28-Takhatpur Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Anil Baghel**, Aam Aadmi Party contesting candidate from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Anil Baghel**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019, **Sh. Anil Baghel**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Anil Baghel**, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.K/Ele.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. K/Ele.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019 has stated that **Sh. Anil Baghel**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Anil Baghel**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Anil Baghel**, resident of **B-90 Rama Life, Mugeli Road, Sakri, Ward No-15, Chhattisgarh** and the contesting Aam Aadmi Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/28/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 144.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सतीश सोनवानी, जो छत्तीसगढ़ के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आप सबकी अपनी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए 28-तखतपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सतीश सोनवानी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सतीश सोनवानी द्वारा 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं 838/निर्वा.स्था/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं० 838/निर्वा०स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सतीश सोनवानी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सतीश सोनवानी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आप सबकी अपनी पार्टी अभ्यर्थी श्री सतीश सोनवानी ग्राम-करहीपारा, निरतूर, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/28/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 144.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **28-Takhatpur Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh.Satish Sonwani**, Aap Sabki Apni Party contesting candidate from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Satish Sonwani**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019, **Sh. Satish Sonwani**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Satish Sonwani**, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.K/Elc.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. K/Elc.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019 has stated that **Sh.Satish Sonwani**, has

not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh.Satish Sonwani**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satish Sonwani**, resident of Gram-Karhipara, **Nirtu Tahsil, Chhattisgarh** and the contesting Aap Sabki Apni Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/28/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 145.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अजय कुमार जांगड़े, जो छत्तीसगढ़ के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए 28-तखतपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अजय कुमार जांगड़े को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अजय कुमार जांगड़े द्वारा 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं0 838/निर्वा.स्था/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं0 838/निर्वा0स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अजय कुमार जांगड़े ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय कुमार जांगड़े निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अजय कुमार जांगड़े, ग्राम-पिपरहट्टा, पो. बेलसरी, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 145.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **28-Takhatpur Assembly** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Ajay Kumar Jangre**, Independent contesting candidate from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Ajay Kumar Jangre**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019, **Sh. Ajay Kumar Jangre**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Ajay Kumar Jangre**, on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No.K/Ele.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. K/Ele.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019 has stated that **Sh. Ajay Kumar Jangre**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Ajay Kumar Jangre**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ajay Kumar Jangre**, resident of Gram Piparhata Post Belsari, Tehsil-Takhatpur, **Chhattisgarh** and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **28-Takhatpur Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/28/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 146.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 और 9 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **वी.वी. खालिद**, जो लोकसभा-2019 के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **वी.वी. खालिद** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एचपी/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **वी.वी. खालिद** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने बताया है कि **वी.वी. खालिद** को उक्त नोटिस दिनांक **29.09.2020** को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में यह बताया कि **वी.वी. खालिद** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **वी.वी. खालिद** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **वी.वी. खालिद** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **वी.वी. खालिद**, निवासी – अनारकली गांव, वार्ड नं. 3, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/एएनआई-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 146.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 & 9th July, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, **V.V. Khalid**, a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019/, dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **V.V. Khalid**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **V.V. Khalid**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, has reported that the said notice was served to **V.V. Khalid**, on **29.09.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his supplementary report/Certificate dated 24.06.2021 reported that **V.V. Khalid**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **V.V. Khalid**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **V.V. Khalid**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **V.V. Khalid**, resident of – Anarkali Village, Ward No. 3, Port Blair, South Andaman and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 147.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 और 9 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सी.जी. साजी कुमार**, जो लोकसभा-2019 के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सी.जी. साजी कुमार** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एचपी/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **श्री सी.जी. साजी कुमार** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो,

आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने बताया है कि श्री सी.जी. साजी कुमार को उक्त नोटिस दिनांक 25.09.2020 को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में यह बताया कि श्री सी.जी. साजी कुमार ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी श्री सी.जी. साजी कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सी.जी. साजी कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सी.जी. साजी कुमार, निवासी – एपीडबल्यूडी मेन स्टोर एरिया, एवरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर-744104, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं.76/एएनआई-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 147.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 & 9th July, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, **C. G. Saji Kumar**, a contesting candidate from 1-Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019/, dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **C.G. Saji Kumar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **C. G. Saji Kumar** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, has reported that the said notice was served to **C. G. Saji Kumar** on **25.09.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his supplementary report/Certificate dated 24.06.2021 reported that **C. G. Saji Kumar**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **C. G. Saji Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **C. G. Saji Kumar** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **C. G. Saji Kumar**, resident of – APWD Main Store Area, Aberdeen Bazar, Port Blair, and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 148.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 और 9 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रकाश मिंज, जो लोकसभा-2019 के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री प्रकाश मिंज** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एचपी/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **श्री प्रकाश मिंज** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने बताया है कि **श्री प्रकाश मिंज** को उक्त नोटिस दिनांक **19.09.2020** को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में यह बताया कि **श्री प्रकाश मिंज** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **श्री प्रकाश मिंज** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री प्रकाश मिंज** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री प्रकाश मिंज**, निवासी – **डेयरी फार्म, पी.एस. मिल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/एएनआई-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 148.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 & 9th July, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, **Prakash Minj**, a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019/, dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Prakash Minj**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Prakash Minj** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, has reported that the said notice was served to **Prakash Minj** on 19.09.2020; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his supplementary report/Certificate dated 24.06.2021 reported that **Prakash Minj**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Prakash Minj** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Prakash Minj** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Prakash Minj**, resident of - **Dairy Farm, P.S. Mill, Andaman and Nicobar Islands** and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 149.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान जिला द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जून, 2019 और 9 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **हेनरी**, जो लोकसभा-2019 के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **हेनरी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएनआई-एचपी/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, **हेनरी** को अपना अभ्यावेदन, जिसमें लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट किया गया हो, आयोग को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और यह नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **दक्षिण अंडमान** को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने बताया है कि **हेनरी** को उक्त नोटिस दिनांक **02.09.2020** को तामील किया गया था; और

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण अंडमान ने दिनांक 24.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में यह बताया कि **हेनरी** ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी **हेनरी** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो, निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **हेनरी** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के 1-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **हेनरी**, निवासी— **ककाना गांव, कार निकोबार तहसील, निकोबार जिला 744301**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।

[फा. सं. 76/एएनआई-लो.स./एसओयू3/2019]

आदेश से,

अविनाश कुमार, प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 149.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23rd May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June, 2019; and

WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 & 9th July, 2019 submitted by the District Election Officer, South Andaman District, Andaman and Nicobar Islands, **Henry**, a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of Lok Sabha – 2019 has failed to lodge account of Election Expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/ANI-HP/2019/, dated 13th August, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Henry**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Henry**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge complete account of election expenses with the District Election Officer, **South Andaman** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **South Andaman**, has reported that the said notice was served to **Henry**, on **02.09.2020**; and

WHEREAS, the District Election Officer, South Andaman in his supplementary report/Certificate dated 24.06.2021 reported that **Henry**, has not submitted account of election expenses. Further, **Henry**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Henry**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Henry**, resident of – **Kakana Village, Car Nicobar Tehsil, Nicobar District** and a contesting candidate from 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands in the General Election to Lok Sabha, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/ANI-HP/SOU3/2019]

By Order,

AVINASH KUMAR, Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 150.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 74-डोंगरगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दिलीप कुमार लहरे जो कि छत्तीसगढ़ के 74-डोंगरगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिलीप कुमार लहरे को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 04 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दिलीप कुमार लहरे को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री दिलीप कुमार लहरे द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अपने दिनांक 02 मई, 2020 के पत्र सं 04/ई. एस./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अपने दिनांक 30 जुलाई, 2020 के पत्र सं 102/ई. एस./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिलीप कुमार लहरे ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिलीप कुमार लहरे निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 76-डोंगरगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी श्री दिलीप कुमार लहरे, ग्राम— टेलकाडीह, पोस्ट— महरूमकला, तहसील— खैरागढ़, जिला— राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1 / 74/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 150.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **74-Dongargarh (SC)** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **10th January, 2019** submitted by the District Election Officer, **Rajnandgaon** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Dilip Kumar Lahare**, contesting candidate of **Gondwana Gantandra Party** from **74-Dongargarh (SC)** Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Rajnandgaon** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **04th March, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Dilip Kumar Lahare** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **04th March, 2020**, **Sh. Dilip Kumar Lahare**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Dilip Kumar Lahare**, on **17th March, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Rajnandgaon** vide his letter No. 04/ई. एस./2020 dated, **02nd May, 2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Rajnandgaon** vide his letter No. 102/ई. एस./2020 dated 30th July, 2020, has stated that **Sh. Dilip Kumar Lahare**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Dilip Kumar Lahare**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dilip Kumar Lahare**, resident of **Village- Thelkadeeh, Post-Mahroomkala, Tehsil - Khairagarh, District- Rajnandgaon** and the contesting candidate of **Gondwana Ganatantra Party** for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **74- Dongargarh (SC)** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No. CG-LA/ES-I/74/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 151.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 8-सिन्दखेडा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, धुले जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 8-सिन्दखेडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुले जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** को दिनांक 01.09.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** कि माता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी कि माता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, धुले जिला द्वारा दिनांक 22.09.2020 के अपने पत्र सं. जी./सेल-11/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस./356/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुलेद्वारा दिनांक 03.11.2020 के अपने पत्र सं.जी./सेल-11/इलेक्शन/डब्ल्यू.एस./409/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 8-सिन्दखेडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **नरेंद्र धर्मा पाटील (साळुंखे)**, मु. पो. विखरण. ता. सिन्दखेडा, जि. धुले को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./08/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 151.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** had contested the aforesaid election from 08-Sindkheda Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Dhule District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** contesting candidate from 08-Sindkheda Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhule District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 01.09.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 01.09.2020, **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by mother of **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** on 17.09.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's mother has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Dhule District vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/356/2020 dated 22.09.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Dhule vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/409/2020 dated 03.11.2020, it has been stated that **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Narendra Dharma Patil (Salunkhe)**, at Post Vikharan, Tal. Sindkheda, Dist. Dhule, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 08-Sindkheda Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/08/2019]

By Order,
S.K.DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 152.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 87-नांदेड दक्षिण विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 87-नांदेड दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** के भाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 21.07.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 22.07.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल.ई.एक्स.पी/सी.आर. द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 03.09.2020 के अपने पत्र सं.2020/जी.बी.-3/इलेक्शन/ई.एल.ई.एक्स.पी/सी.आर. के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 87-नांदेड दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मुदसरुद्दीन अलीमुद्दीन**, घर नं. 6-2-158, सय्यदान, नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./87/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 152.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Mudsaruddin Alimuddin** had contested the aforesaid election from 87-Nanded South Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Mudsaruddin Alimuddin** contesting candidate from 87-Nanded South Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mudsaruddin Alimuddin** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Mudsaruddin Alimuddin** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the brother of **Mudsaruddin Alimuddin** on 21.07.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's brother has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nanded District vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 22.07.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 03.09.2020, it has been stated that **Mudsaruddin Alimuddin** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Mudsaruddin Alimuddin** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mudsaruddin Alimuddin**, resident of House No. 6-2-158, Sayyadan, Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 87-Nanded South Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/87/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

आ.अ. 153.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **पांडुरंग तोलबा वन्ने** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 88-लोहा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 88-लोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **पांडुरंग तोलबा वन्ने** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **पांडुरंग तोलबा वन्ने** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **पांडुरंग तोलबा वन्ने** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **पांडुरंग तोलबा वन्ने के बेटे** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के बेटे से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड जिला द्वारा दिनांक 11.04.2020 के अपने पत्र सं. 2020/जीबी-3/इलेक्शन/ई.एल.एक्स.पी./सी.आर-21979 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड द्वारा दिनांक 03.09.2020 के अपने पत्र सं.2020/जीबी-3/इलेक्शन/ई.एल.एक्स.पी./सी.आर के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **पांडुरंग तोलबा वन्ने**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **पांडुरंग तोलबा वन्ने** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 88-लोहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **पांडुरंग तोलबा वन्ने**, मु. पो. वाका. ता. लोहा, जि. नांदेड को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./88/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2021

O.N. 153.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Pandurang Tolaba Wanne** had contested the aforesaid election from 88- Loha Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Pandurang Tolaba Wanne** contesting candidate from 88- Loha Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Pandurang Tolaba Wanne** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Pandurang Tolaba Wanne** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the son of **Pandurang Tolaba Wanne** on 17.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the son of candidate has been submitted to the Commission by Dy. District Election officer, Nanded District vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR-21979 dated 11.04.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No.2020/GB-3/Election/El.Exp/CR- dated 03.09.2020, it has been stated that **Pandurang Tolaba Wanne** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Pandurang Tolaba Wanne** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Pandurang Tolaba Wanne**, resident of at post waka, Tq Loha, District- Nanded, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 88- Loha Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/88/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

आ. अ.154.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **गोविन्दा अंबर बोराळे** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 113- नांदगांव विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 113- नांदगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गोविन्दा अंबर बोराळे** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **गोविन्दा अंबर बोराळे** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **गोविन्दा अंबर बोराळे** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **गोविन्दा अंबर बोराळे के पिता** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी के पिता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला द्वारा दिनांक 27.03.2020 के अपने पत्र सं. निर्वाचन/डिस्क क्र.2/123/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं.निर्वाचन/डिस्क क्र.2/169/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **गोविन्दा अंबर बोराळे**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **गोविन्दा अंबर बोराळे** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 113- नांदगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **गोविन्दा अंबर बोराळे**, मु. पो. चिंचगव्हाण ता. मालेगांव जि. नाशिक को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./ 113/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2021

O.N. 154.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Govinda Ambar Borale** had contested the aforesaid election from 113- Nandgaon Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nashik District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Govinda Ambar Borale** contesting candidate from 113-Nandgaon Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nashik District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Govinda Ambar Borale** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Govinda Ambar Borale** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the father of **Govinda Ambar Borale** on 13.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate's father has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nashik District vide his letter No. Election/Desk-No.2/123/2020 dated 27.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nashik District vide his letter Election/Desk-No.2/169/2020- dated 31.07.2020, it has been stated that **Govinda Ambar Borale** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Govinda Ambar Borale** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Govinda Ambar Borale**, At. Po. Chinchgavhan Tal- Malegaon, Dist-Nashik, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 113- Nandgaon Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/113/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

आ.अ. 155.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **आव्हाड महेश झुंजार** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 123- नाशिक पूर्व विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 123-नाशिक पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **आव्हाड महेश झुंजार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **आव्हाड महेश झुंजार** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **आव्हाड महेश झुंजार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **आव्हाड महेश झुंजार की पत्नी** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी की पत्नी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नाशिक जिला द्वारा दिनांक 27.03.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-सं.2/122/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नाशिक द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन/डेस्क-सं.2/170/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनूपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **आव्हाड महेश झुंजार**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **आव्हाड महेश झुंजार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 123-नाशिक पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **आव्हाड महेश झुंजार**, 1, माधव सोसायटी, जगताप महल, तरन तलाव के पास, नाशिक रोड- 422 101, त. जिला- नाशिक, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[फा.सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./123/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2021

O.N. 155.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Avhad Mahesh Zunjar** had contested the aforesaid election from 123-Nashik East Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nashik District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Avhad Mahesh Zunjar** contesting candidate from 123-Nashik East Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nashik District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Avhad Mahesh Zunjar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Avhad Mahesh Zunjar** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of **Avhad Mahesh Zunjar** on 13.03.2020, acknowledgement receipt obtained from the wife of candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nashik District vide his letter No. Election/Desk-No.2/122/2020 dated 27.03.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nashik vide his letter No. Election/Desk-No.2/170/2020 dated 31.07.2020, it has been stated that **Avhad Mahesh Zunjar** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Avhad Mahesh Zunjar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Avhad Mahesh Zunjar**, resident of 1, Madhav Society, Jagtap Mala, Near Taran Talav, Nashik Road- 422 101, Tal. Dist- Nashik, the contesting candidate for the General Election to the legislative Assembly, 2019 from 123-Nashik East Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/123/2019]

By Order,

S.K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

आ.अ. 156.—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.464/एम.टी.-एल.ए./2019 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा का साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **हबिबुर रेहमान खाँ** ने पूर्वोक्त निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 137- भिवंडी पूर्व विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था और अनुसूची के अनुसार, मतगणना की तिथि 24/10/2019 थी;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है, और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखों की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. एमआईएस-2019/सी.आर.1526/19/33 दिनांक 17.02.2020 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 137- भिवंडी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **हबिबुर रेहमान खाँ** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे जिला, महाराष्ट्र की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं करने पर, **हबिबुर रेहमान खाँ** को दिनांक 02.03.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02.03.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **हबिबुर रेहमान खाँ** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **हबिबुर रेहमान खाँ** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त किया गया था, अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, ठाणे जिला द्वारा दिनांक 31.07.2020 के अपने पत्र सं. इलेक्शन /डिस्क-सं.-4/विधानसभा2019/डब्ल्यू.एस.-243/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठाणे द्वारा दिनांक 19.03.2021 के अपने पत्र सं.जीईएन/रूम2/टेबल-4/विधानसभा इलेक्शन/डब्ल्यू.एस.243/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **हबिबुर रेहमान खाँ**, ने निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है और सम्यक नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **हबिबुर रेहमान खाँ** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 137- भिवंडी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **हबिबुर रेहमान खॉं**, निवासी- ए/3, 402, चौथी मंजिल, युनाइटेड प्लाजा तलावपाली रोड, नियर विन्सोम फ्लोरा, कौसा- मुंब्रा. जि. ठाणे- 400 612 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[फा. सं. 76/ एम.टी.-एल.ए./137/2019]

आदेश से,

एस.के.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2021

O.N. 156.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2019 vide its Notification No.464/MT-LA/2019 dated 27.09.2019 and **Habibur Rehman Khan** had contested the aforesaid election from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of Maharashtra State and as per the schedule, the date of counting was 24/10/2019;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive;

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Thane District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. MIS-2019/C.R. 1526/19/33 dated 17.02.2020, **Habibur Rehman Khan** contesting candidate from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Thane District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 02.03.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Habibur Rehman Khan** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 02.03.2020, **Habibur Rehman Khan** was directed to submit his/her representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the **Habibur Rehman Khan** on 25.07.2020, acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Thane District vide his letter No. Election/Desk-No-4/Vidhansabha2019/WS-243/2020 dated 31.07.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO and Collector, Thane vide his letter No. Gen/Room2/Table-4/Vidhansabha Election/WS.243/2020- dated 19.03.2021, it has been stated that **Habibur Rehman Khan** has not submitted the election expenses and he has neither furnished any reason nor explanation for this said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Habibur Rehman Khan** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Habibur Rehman Khan**, resident of A/3, 402, Fourth Floor, United Plaza, Talaopali Road, Near Winsome Flora, Kausa- Mumbra, Dist. Thane- 400 612, the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly, 2019 from 137- Bhiwandi East Assembly Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.76/MT-LA/137/2019]

By Order,

S. K. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

आ.अ. 157.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 56—सिहावा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 9 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी जो छत्तीसगढ़ के 56—सिहावा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा पेशित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 मार्च, 2021 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च, 2021 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी द्वारा अपने दिनांक 4 जून, 2021 के पत्र सं0 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी द्वारा अपने दिनांक 4 जून, 2021 के पत्र सं0 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीनवर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़राज्य 56—सिहावा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रुखमनी, ग्राम—बनबगौद, पो. बाजारकुरीडीह, तह. नगरी, जिला—धमतरी, छ0ग0 पिन—493778 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1 / 56 / 2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2021

O.N. 157.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **56-Sihawa(ST)** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated **9th January**, 2019 submitted by the District Election Officer, **Dhamtari** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, an independent contesting candidate **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, from **56-Sihawa (ST) Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Dhamtari** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **2nd March, 2021** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **2nd March, 2021**, **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, on 27th March, 2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Dhamtari** vide his letter 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 dated 4th June, 2021.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Dhamtari** vide his letter 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 dated 4th June, 2021 has stated that **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani)** resident of **Village-Banabgoud, Post-Bazarkurridih, Tehsil- Nagri, Distt.- Dhamtari (C.G.) Pin Code-493773** and the contesting Independent candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **56-Siwaha (ST) Assembly Constituency** of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/56/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ. 158.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक प्रधान जो छत्तीसगढ़ के 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिव सेना के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अशोक प्रधान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अशोक प्रधान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अशोक प्रधान द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अशोक प्रधान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक प्रधान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले शिव सेना के अभ्यर्थी श्री अशोक प्रधान, रामूबाडा, जगदीशपुर रोड, बसना, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि

के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है ।

[फा.सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु-1/40/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 158.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **40-Basna** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh Ashok Pradhan**, contesting candidate of **Shiv Sena** from **40-Basna Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh Ashok Pradhan**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020**, **Sh Ashok Pradhan** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh Ashok Pradhan**, on **13th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh Ashok Pradhan**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh Ashok Pradhan**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh Ashok Pradhan** resident of **Gram-Ramubada, Jagdishpur Road-Basna, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Shiv Sena**, for General Election to

Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **40-Basna Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/40/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ.159—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महेंद्र साव, जो छत्तीसगढ़ के 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महेंद्र साव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महेंद्र साव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री महेंद्र साव द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महेंद्र साव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महेंद्र साव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री महेंद्र साव, निवासी वार्ड 11, बसना, तहसील— बसना, जिला— महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/40/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 159.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **40-Basna** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Mahendra Sao**, an **Independent** contesting candidate from, from **40-Basna Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Mahendra Sao**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020**, **Sh. Mahendra Sao** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Mahendra Sao**, on **13th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Mahendra Sao**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Mahendra Sao**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mahendra Sao, Ward No. 11, Basna, Tehsil- Basna, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **40-Basna Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F.No.CG-LA/ES-I/40/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ. 160.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संकल्प दास, जो छत्तीसगढ़ के 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संकल्प दास को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संकल्प दास को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संकल्प दास द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं० 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संकल्प दास ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संकल्प दास निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी श्री संकल्प दास, निवासी— म.नं. 95, कुम्हार पारा—01 तहसील—बसना, जिला—महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु.—1/40//2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 160.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **40-Basna** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Sankalp Dass**, contesting candidate of **Aam Admi Party**, from **40-Basna Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Sankalp Dass**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020**, **Sh. Sankalp Dass** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Sankalp Dass**, on **13th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Sankalp Dass**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Sankalp Dass**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sankalp Dass, H.No.95, Kumharpara 01, Tehsil- Basna, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Aam Admi Party**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **40-Basna Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/40/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

आ.अ. 161.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला जो छत्तीसगढ़ के 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 जनवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 17 अगस्त, 2020 के पत्र सं 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, महासमुन्द द्वारा अपने दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के पत्र सं 173/क/निर्वा./लेखा/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 40-बसना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अभ्यर्थी श्री त्रिलोचन नायक लुंगीवाला, ग्राम एवं पो-0—लिमदरहा, तहसील—पिथौरा, जिला—महासमुन्द, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा.सं. छ.ग.—वि.स./पूर्व अनु-1/40/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

O.N. 161.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **40-Basna** Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No.21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala**, contesting candidate of **Janta Congress Chattisgarh (J)**, from **40-Basna Assembly** Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Mahasamund** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala**, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **31st Jan, 2020**, **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala**, on **12th August, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 162/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 17th August, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Mahasamund** vide his letter 173/क/सा.निर्वा./लेखा/2020 dated 9th September, 2020. has stated that **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Trilochan Nayak Lungiwala, Vill & Po- Limdarha, Tehsil-Pithora, Dist- Mahasamund, Chhattisgarh** and the contesting candidate of **Janta Congress Chattisgarh (J)**, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from **40-Basna Assembly** Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.CG-LA/ES-I/40/2018]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Senior Principal Secy.